न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 42/2022

उनवान

1. रमेशचन्द पुत्र घीसालाल
2. कैलाश पुत्र रामस्वरूप
3. खुशी पुत्र गणेश
4. नितिन पुत्र गणेश वादी संख्या 3 व 4 नाबालिग पुत्री व पुत्र माता तनुजा पत्नि गणेश
5. तनुजा पत्नि गणेश समस्त जाति अहीर निवासीगण श्रीनगर तहसील नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

बनाम

1. चूकी पुत्री भूरा
2. चम्पादेवी पत्नि छोगा
3. नौसर पुत्री छोगा
4. बलदेव पुत्र छोगा
5. मेघराज पुत्र छोगा
6. मंजू पुत्री कानसिंह
7. रतनसिंह पुत्र छोगा
8. रतनी पुत्री भूरा
9. लादू पुत्र उदा
10. शैतानसिंह पुत्र छोगा
11. शेरसिंह पुत्र भूरा
12. संजू पुत्री कानसिंह
13. केलीदेवी पत्नि काना
14. नाहरसिंह पुत्र काना
15. सीतादेवी पत्नि लाखा,
16. रामपाल पुत्र काना
17. बाबुलाल पुत्र गोपी समस्त जातिगण रावत निवासीगण श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
18. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 14 व 17 जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन
18 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:51:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 [illegible] 1956

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

–: आदेश :– दिनांक :– 21.12.22

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 6022 रकबा 1.62 व 6022/8967 रकबा 0.12 की आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर वर्षो से काबिज काश्त है तथा निरन्तर उपयोग–उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण अपनी आराजी की सुरक्षा के लिये पत्थरगढी करवाना चाहते है जिस हेतु उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। हाल खसरा नम्बर 6020 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अवैध कब्जा करने की धमकी देते है। अतः आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 14 व 17 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का वर्तमान राजस्व मानचित्र पूर्व मानचित्र के अनुरूप नही है। आवेदनकर्ता का कब्जा भी मौके पर नही है। आवेदनकर्ता द्वारा वर्तमान नक्शें के आधार पर उक्त आवेदन पेश किया है जो निरस्त योग्य है। वर्तमान राजस्व मानचित्र दुरूस्ती व खातेदारी उद्घोषणा हेतु अलग से वाद लाडू बनाम राज0 सरकार हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। जवाबकर्ता की आराजी को हडपने के लिये प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 6022 रकबा 1.62 व 6022/8967 रकबा 0.12 प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी से लगते हुये खसरा नम्बर 6020 अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थीगण हाल राजस्व मानचित्र अनुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण का कथन है कि आराजी मुजनाजा का वर्तमान राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 6022 के लगते हुये खसरा नम्बर 6020 व 6022/8811 स्थित है। खसरा नम्बर 6022/8811 के राजस्व मानचित्र की दुरूस्ती बाबत एक वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। जिसका निस्तारण शेष है। हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्ती के बिना पत्थरगढी अे आदेश पारित करने से मौके पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगे। प्रार्थीगण अपनी आराजी की सीमा की जानकारी नक्शा दुरूस्ती के बाद प्राप्त कर सकते है। हाजा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण लाडू बनाम राज0 सरकार के निस्तारण के बाद उभयपक्ष नियमानुसार अपनी आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु स्वतंत्र है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:51:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद